राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 109

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ओपनिंग के लिए विनती करनी पड़ी थी : तेंदुलकर

>> 14

सरोकार

जहरीले रसायन से पर्यावरण को बचाएगा बल्ब ईटर

चंडीगढ़ : केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने ऐसा कंटेनर विकसित किया है, जो इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिए जाने वाले ट्यूबलाइट और बल्ब के बेहतर निस्तारण में उपयोगी साबित होगा। 'बल्ब एंड ट्यूबलाइट ईटर' नामक इस कंटेनर में खराब बल्ब या ट्यूबलाइट तोड़ते ही मौजूद रसायनों का सुरक्षित समाधान हो जाएगा। (पेज-10)

जागरण विशेष

डीएम ने खून देकर बचाई गर्भवती आदिवासी की जान

सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 25 वर्षीय आदिवासी महिला हिड़मे गर्भवती हैं। गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिला को तत्काल खून चढ़ाए जाने की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी मिलने पर डीएम चंदन कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और रक्तदान कर एक साथ दो जिंदगियां बचा लीं। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

12 वैज्ञानिकों को मिलेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

नई दिल्ली : विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के 12 वैज्ञानिकों को 2019 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। बायोलाजिकल साइंस के क्षेत्र में आइआइएसईआर पुणे के डॉ. के श्रीकृष्णन और एनआइआइ दिल्ली के डॉ. सौमेन बसाक को संयुक्त रूप से इसके लिए चुना गया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

पुणे में बारिश का कहर, विभिन्न घटनाओं में 21 की मौत

मुंबई : महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार-गुरुवार की रात हुई मूसलधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से 10 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

सऊदी क्राउन प्रिंस की निगरानी में हुई थी खशोगी की हत्या

रियाद : एक डाक्यूमेंटरी में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि खशोगी की हत्या को उनकी निगरानी में अंजाम दिया गया था। इस डाक्यूमेंटरी का प्रसारण एक अक्टूबर को किया जाएगा। खशोगी की पिछले साल दो अक्टूबर को सऊदी एजेंटों ने हत्या कर दी थी।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

टीएनसीए अध्यक्ष बनीं श्रीनि की बेटी रूपा गुरुनाथ

चेन्नई : बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को गुरुवार को यहां तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया जिससे वह भारतीय बोर्ड की राज्य इकाई की पहली महिला प्रमुख बन गईं हैं। रूपा गुरुनाथ मयप्पन की पत्नी हैं जिन पर 2013 आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा हुआ है।

सुनवाई 18 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम निर्देश ▶ अयोध्या मामले के सभी पक्षकारों से हर हाल में तब तक बहस पूरी करने को कहा

नवंबर के मध्य तक आ जाएगा फैसला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर साफ किया कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई उसके आगे नहीं बढ़ेगी। यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहस कर रहे पक्षकारों को आगाह किया है कि वे 18 अक्टूबर की समयसीमा का पालन सुनिश्चत करें। इस तय समय के बड़े मायने हैं। सुनवाई कर रही संविधान पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उससे पहले सुनवाई पूरी होकर फैसला आना है। 18 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने से कोर्ट के पास फैसला लिखने के लिए करीब एक माह का वक्त बचेगा।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है। 18 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई की समयसीमा तय करते हुए पक्षकारों से कहा था कि वह 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने का मिलजुल कर प्रयास करें। उस दिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि समयसीमा का तय लक्ष्य पाने के लिए अगर जरूरत हुई तो एक घंटा बढ़ा देंगे या फिर शनिवार को सुनवाई कर ली जाएगी। इस क्रम में कोर्ट सोमवार से चार बजे के बजाय शाम पांच बजे तक सुनवाई कर रहा है।

गुरुवार को जैसे ही अदालत बैठी प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पहले सुनवाई पूरी होने का प्लान तैयार हो जाना चाहिए। वह बहुत स्पष्ट तौर पर बता देना चाहते हैं कि 18 अक्टूबर के बाद सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई हर हाल में 18 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए। इसके लिए सभी अपनी बहस का समय तय कर लें। कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर तक उसके पास साढ़े नौ कार्यदिवस का समय है। यानी नौ दिन पूरे और शुक्रवार का आधा दिन बचा है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष शुक्रवार तक अपनी दलीलें पूरी कर ले, उसके बाद हिंदू पक्ष को जवाब के लिए दो दिन का समय मिलेगा। फिर राजीव धवन सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दो दिन बहस करेंगे जिसका हिंदू पक्ष दोबारा जवाब देगा। इसके बाद अपीलकर्ताओं की मांगों में कुछ रद्दोबदल हो सकता है तो कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा।

चार सप्ताह में फैसला लिखना चुनौतीपूर्ण काम

सुप्रीम कोर्ट अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेगा तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति तक फैसला लिखने के लिए उसके पास करीब चार सप्ताह का समय बचेगा। अयोध्या विवाद जैसे विस्तृत मामले में चार सप्ताह में फैसला लिखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस मुकदमे में 14 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिस पर 32 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कुल 41 दिन सुनवाई होगी। हालांकि यह अभी तक किसी भी मुकदमे में चली सबसे लंबी सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो महीने में लिखा था फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद करीब दो महीने का समय फैसला देने में लिया था। हाई कोर्ट ने जुलाई, 2010 में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और 30 सितंबर, 2010 को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट में जनवरी से जुलाई तक करीब सात महीने नियमित सुनवाई चली थी। इस दौरान मई-जून में गर्मी की छुट्टी के कारण दो महीने तक कोर्ट बंद रहा था।

कोर्ट ने तीन हिस्सों में बांट दी थी जमीन

हाई कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया गया था। सभी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

हाई कोर्ट से 15 बक्सों में आए हैं दस्तावेज : सुप्रीम कोर्ट के लिए चार सप्ताह में फैसला लिखना कितना चुनौती भरा काम है इसे इस बात से ही जाना जा सकता है कि हाई कोर्ट से 15 बक्सों में मुकदमे से जुड़े साक्ष्य और रिकॉर्ड मूल फैसले की प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिन पर सुनवाई के दौरान विचार किया जाता है। इसमें करीब 8,000 पेज का मूल फैसला है। 13,000 पेज की गवाहियां हैं और 250 अभिलेखी साक्ष्य (दस्तावेजी सबूत) हैं। इन पर कोर्ट को फैसला लिखते समय गौर करना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों की ओर से दी गई मौखिक और लिखित दलीलों पर भी विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने पूछा, अगर ईदगाह थी तो इमाम के बैठने की जगह कहां है पेज>>3

सीबीआइ में फिर रार

संयुक्त निदेशक पर फर्जी मुठभेड़ का लगाया आरोप

नई दिल्ली, एएनआइ : सीबीआइ के अफसरों के बीच अंदरूनी लड़ाई फिर सामने आई है। डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसमें झारखंड में 14 निर्दोषों की जान गई थी। एएनआइ ने इस मामले में सीबीआइ की प्रतिक्रिया जाननी चाही, पर कोई जवाब नहीं मिला। ज्ञात हो, पिछले साल सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की अंदरूनी लड़ाई में जांच एजेंसी की जमकर किरकिरी हुई थी। बाद में दोनों की सीबीआइ से विदाई हो गई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशक, मुख्य सतर्कता आयुक्त और प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई अपनी शिकायत में पुलिस उपाधीक्षक एनपी मिश्र ने आरोप लगाया है कि एजेंसी के संयुक्त निदेशक एके भटनागर झारखंड में हुई फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे। इस मामले की सीबीआइ की विशेष अपराध शाखा-प्रथम जांच कर रही है। सीबीआइ की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भटनागर को तुरंत एजेंसी से हटाया जाना चाहिए, अन्यथा वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच प्रभावित कर सकते हैं। भटनागर इस समय सीबीआइ में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर तैनात हैं। एनपी मिश्र ने कहा है कि इस संबंध में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी शिकायत दर्ज कराई है। डिप्टी एसपी ने यह भी कहा है कि भटनागर के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी गंभीर मामले हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है।

दूसरे मामलों में भी कर चुके हैं शिकायत

यह पहला मौका नहीं है कि मिश्र ने सीबीआइ के अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड में भी सीबीआइ के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और सुबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन तब जांच एजेंसी ने आरोपों को नकार दिया था। आरोपों के बाद मिश्र का तबादला कर दिया गया था, जिसे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और उस पर एक अक्टूबर को सुनवाई होनी है।

रूहानी से भेंट कर मोदी ने अमेरिका को दिया संदेश

न्यूयॉर्क में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के इतर पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच मुलाकात हुई। एनआइ

- दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर हुई चर्चा
- दुनिया को बताया किसी भी दबाव में अपनी विदेश नीति से नहीं डिगेगा भारत

आशुतोष झा, न्यूयॉर्क

संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन की कूटनीति के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की मुलाकात हुई। अमेरिका के साथ ईरान के तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए इस मुलाकात के खास मायने हैं। इस मुलाकात से अमेरिका समेत अन्य देशों को साफ संदेश भी दे दिया गया है कि भारत किसी भी दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से नहीं डिगेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी दी। जबकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं केबीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई।

वहीं, मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यह माना कि भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध हैं। दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई मुलाकात के बाद आपसी संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई और अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता देने के भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों देशों के बीच 2020 में राजनयिक संबंधों के 70वें स्थापना दिवस को मनाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी और रूहानी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कुछ दिनों में दो बार मुलाकात हो चुकी है। वहीं, रूहानी और ट्रंप की न तो कोई मुलाकात हुई है और ही आगे होने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ उसके संबंध भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने भी ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बंद कर दिया है। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। यह भी छिपा नहीं है कि अमेरिका और ट्रंप की ओर से भारत के साथ कुछ समझौतों को लेकर हीला हवाली हो रही है।

ध्यान रहे कि मोदी और रूहानी की बिश्केक में भी मुलाकात होनी थी लेकिन नहीं हो पाई थी। 2016में मोदी तेहरान गए थे और तब के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। बाद में भारत, ईरान और अफगानिस्तान में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। 2018में रूहानी भी भारत आए थे। लगभग एक दशक बाद भारत आने वाले रूहानी पहले ईरानी नेता थे, उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।

ट्रंप ने कश्मीर पर फिर की मध्यस्थता की बात भारत ने कहा,मंजूर नहीं पेज>>5

मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण तय

न्यूयार्क, प्रेट्र : एंटीगुआ एवं बरबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चोकसी 'धोखेबाज' है और उसके सभी कानूनी विकल्प समाप्त होने पर उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। उनका देश उसे रखने का इच्छुक नहीं है क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। ब्राउन ने कहा एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करने में भारतीय अफसरों ने उसकी मदद की थी। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआइ को हीरा कारोबारी चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की तलाश है। सीबीआइ के पूर्व निदेशक एपी सिंह ने कहा है कि पीएम ब्राउन का चोकसी को धोखेबाज कहना भारतीय एजेंसियों के लिए सकारात्मक संकेत है।

एंटीगुआ और बरबुडा के पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेने न्यूयार्क आए हुए हैं। डीडी न्यूज चैनल से बातचीत में ब्राउन ने कहा,बैंक धोखाधड़ी के भगोड़े को वापस भेजना 'महज कुछ समय की बात' है। 'मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उसकी सभी अपील खत्म होने के बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा। उसके खिलाफ जो भी आरोप हों, उसका सामना करने को उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा।'

चोकसी की नागरिकता पर उन्होंने कहा,'हमें पता होता कि वह धोखेबाज है तो उसे एंटीगुआ की नागरिकता नहीं मिलती। हमारे अधिकारियों ने भारत से मिली सूचना पर काम किया और उसे नागरिक बनाया। उस स्थिति के लिए भारतीय अधिकारियों को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।' चोकसी को जनवरी 2018 में एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता दे दी गई।

एंटीगुआ के पीएम ने कहा, धोखेबाज है भगोड़ा हीरा कारोबारी

गेस्टन ब्राउन

मेहुल चोकसी

> एंटीगुआ के पीएम ने चोरों और पैसा लेकर भाग जाने वाले भगोड़ों को बचाने का जो षड्यंत्र भारत सरकार में किसी ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति कर रहा था, उसकी पोल खोल दी है।' भाजपा के नेता जिन्हें 'हमारे मेहुल भाई' कहते हैं, उसे सरकार वापस लाकर बैंकों का पैसा क्यों नहीं वसूल रही?
>
> -रणदीप सुरजेवाला (कांग्रेस प्रवक्ता)

पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला 2018 की शुरुआत में सामने आया था। इसके बाद चोकसी और उसका भांजा नीरव देश से भाग निकला। नीरव (48) वर्तमान में लंदन की जेल में है। ईडी ने जून में बांबे हाई कोर्ट को बताया था कि वह चोकसी को भारत लाने के लिए 'एयर एंबुलेंस' मुहैया कराने को तैयार है। फिलहाल कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहे चोकसी ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह उपचार के लिए भारत से बाहर निकला था, मामले में मुकदमे से बचने के लिए नहीं। उसने कहा था कि स्वास्थ्य सही हो जाने पर वह भारत लौट आएगा।

वर्षा जोशी ने किया टवीट्-मैं अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली में महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त और 1995 बैच की आइएएस अधिकारी वर्षा जोशी ने ट्वीट कर खुद को अपने दफ्तर में असुरक्षित बताया है। उन्होंने लिखा कि लोग अक्सर महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता है कि वह ऐसा कर रहे हैं। दरअसल निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने एक महिला के सार्वजनिक स्थानों पर बदसलूकी की शिकायत वाले टवीट् के जवाब में यह बात कही। (पेज-2)

महाराष्ट्र में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में जुटी भाजपा

नई दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पिछली बार स्पष्ट बहुमत से चूक जाने वाली भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वैसे शिवसेना के साथ सीटों के बंटवारे के बाद कम सीटों पर चुनाव लड़कर अपने दम पर बहुमत हासिल करने की राह उसके लिए आसान नहीं होगी। शायद यही कारण है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र भाजपा की कोर कमेटी के साथ बैठक में एक-एक सीट पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर गहराई से विचार-विमर्श किया। (पेज-4)

वाड्रा से हिरासत में पूछताछ जरूरी : ईडी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। उसने कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि पैसों की चेन सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस पर अंतिम बहस के लिए सुनवाई 5 नवंबर के लिए तय की है।

ईडी की चुनौती याचिका पर वाड्रा ने भी हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सुबूत नहीं है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के कब्जे में हैं। ऐसे में उसके साथ छेड़छाड़ होने का भी खतरा नहीं है। अगर कोई खुद पर लगे आरोप नहीं मानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा। वाड्रा को निचली अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी। फैसले को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी ने कहा था कि निचली अदालत मामले को समझने में

रॉबर्ट वाड्रा फाइल फोटो

नाकाम रही और इस तरह के मामले में रूटीन तरीके से जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा का नहीं बल्कि वाड्रा का है जिसे हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था।

बीकानेर जमीन मामले में समय पूर्व सुनवाई पर ईडी को आपत्ति

जागरण संवाददाता, जोधपुर : रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े बीकानेर के कोलायत में जमीन मामले को लेकर गुरुवार को कोर्ट में तय समय से पहले सुनवाई होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल, सुनवाई का समय दो बजे तय था, लेकिन वाड्रा के अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने इससे पहले ही पेश हो कर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद ही इस मामले को सुनने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने 5 नवंबर की तारीख तय कर दी। दोपहर दो बजे के बाद ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आरडी रस्तोगी कोर्ट पहुंचे और इस बात पर अपनी आपत्ति जताई कि सुनवाई तय समय से पहले क्यों की गई। सहायक सॉलिसीटर जनरल भानु प्रकाश बोहरा ने कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दाखिल कर दो बजे से पहले मामले की सुनवाई का कारण पूछा, जिस पर कोर्ट ने वाड्रा के वकीलों से जवाब मांगा और 24 नवंबर को सुनवाई तय कर दी। तब तक वाड्रा व उनके कारोबारी सहयोगियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

बड़ी बात

अमेरिकी कंपनी ने भारत को दिया प्रस्ताव, 40 फीसद अधिक हथियार क्षमता समेत भारत की विशेष जरूरत और इशा रडार से लैस होगा एफ-21

लॉकहीड मार्टिन का वादा, किसी और को नहीं देंगे एफ-21 विमान

संजय मिश्र, नई दिल्ली

अमेरिकी वायुसेना की लाइफलाइन मानी जाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने एलान किया है कि वह अति आधुनिक एफ-21 लड़ाकू विमान केवल भारत को देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना एफ-21 को खरीदने का फैसला करती है तो कंपनी इसे दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं देगी। साथ ही उसका मानना है कि नए राफेल लड़ाकू जेट और तेजस विमानों के साथ एफ-21 की तिकड़ी भारतीय वायुसेना को न केवल बेहद ताकतवर बल्कि मारक भी बनाएगी।

भारतीय वायुसेना की 114 नए लड़ाकू विमानों की खरीदने की दौड़ में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिक्स कंपनी लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसीडेंट एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी डॉ. विवेक लाल ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत के दौरान यह बात कही। भारतीय वायुसेना की ओर से विमानों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी की गई आरएफआइ में एफ-21 ने भी अपना प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में वायुसेना की ओर से कुछ सवाल और स्पष्टीकरण पूछे गए जिसका

डॉ. विवेक लाल फाइल फोटो

हमने जवाब दे दिया है। अब अगले दौर की प्रक्रिया होगी लाल ने कहा कि जहां तक एफ-21 की भारत को आपूर्ति का सवाल है तो वायुसेना की शर्तों के अनुरूप 18 विमान पूरी तरह से तैयार आएंगे। बाकी विमान हम भारत में टाटा समूह के साथ मिलकर बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत ने फ्रांस से 36 और राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला किया है।

राफेल, तेजस और एफ-21 विमानों की तिकड़ी पेज>>6

सिंगल इंजन के कारण 30-40 फीसद सस्ता होगा

लाल ने कहा कि सिंगल इंजन विमान की अपनी श्रेणी में यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से लैस विमान है। सिंगल इंजन की वजह से यह हल्का है और इसीलिए 40 फीसद अधिक हथियार लेकर

उड़ान भरने की क्षमता है। एफ-21 आधुनिकतम इशा रडार के साथ भारत की सुरक्षा जरूरतों के अनुकूल विशेष इलेक्ट्रानिक वार फेयर से भी लैस होगा। इसका दोहरा फ्यूलिंग मेकेनिज्म और नये तरीके का कॉकपिट इससे वायुसेना के लिए खास बनाएगा। सिंगल इंजन लड़ाकू विमान होने के कारण यह डबल इंजन जेट की तुलना में 30 से 40 फीसद सस्ता भी होगा। ऐसे में जब 114 नये विमान खरीदे जाने हैं तो इस लिहाज से यह बचत भी बड़ी होगी।

भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच जबरदस्त समानता दिखेगी

पाकिस्तान को पूर्व में एफ-16 विमान देने के कंपनी के पूर्व के डील को देखते हुए भारत को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि विरोधी को एफ-21 तकनीक न मिले? विवेक ने कहा कि एफ-16 दुनिया के 28 अग्रिम देशों की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है और करीब 3000 ऐसे विमान उड़ान भर रहे हैं। मगर जब भारत को एफ-21 का हमारा सबसे सुपीरियर वर्जन देंगे तो हम वादा करेंगे कि यह विमान दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। लाल के मुताबिक एफ-21 की भारत के लिए विशिष्टता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एफ-16 फैमिली अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में चौथे जेनरेशन के एफ-21 की आपूर्ति केवल भारत को होगी तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच जबरदस्त समानता दिखेगी।

नारद कांड में सीबीआइ ने आइपीएस मिर्जा के रूप में की पहली गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- 2014 में एक दर्जन तृणमूल नेता, मंत्री, सांसद व विधायकों का हुआ था स्टिंग
- नारद न्यूज पोर्टल के स्टिंग के दौरान बर्धमान जिले के एसपी थे मिर्जा

बंगाल के बहुचर्चित नारद स्टिंग कांड में गुरुवार को सीबीआइ ने पहली गिरफ्तारी की। जांच एजेंसी ने आइपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को विशेष अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें 30 सितंबर तक सीबीआइ हिरासत में भेज दिया। 2014 में नारद न्यूज पोर्टल के तत्कालीन सीईओ व संपादक मैथ्यू सैमुअल ने कोलकाता में तृणमूल के एक दर्जन से अधिक मंत्री, सांसद व विधायकों और नेताओं के साथ बर्धमान जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आइपीएस मिर्जा का भी स्टिंग आपरेशन किया था।

इन लोगों को एक काल्पनिक कंपनी की मदद के एवज में मोटी रकम दी गई थी जिसका वीडिया तैयार किया गया था। मिर्जा खुद ही वीडियो में यह कहते दिखाई दिए थे कि वह तृणमूल के कई मंत्री, सांसद, विधायक व नेताओं के बेहद करीब हैं। सीबीआइ नारद कांड में मिर्जा की भूमिका को लेकर पूछताछ करना चाहती है। मामले के अन्य आरोपितों के साथ

कोलकाता में सीबीआइ ने गुरुवार को एसएमएच मिर्जा (मध्य में) को अदालत में पेश किया। प्रेट्र

आइपीएस अधिकारी का क्या लेन-देन हुआ था, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। मिर्जा की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा, इस मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारियां होंगी। वहीं माकपा ने कहा है कि मिर्जा की गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी।

क्या है नारद स्टिंग कांड पेज>>3